

अज अदालत..... मुकाम.....
सहायक कलेक्टर (19) कापूर..... बनाम
कापूर 116 न. नं. 11/128किस्म मुकदमा..... नं..... सन्.....
राजस्व ऑफिस 126/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/04/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Datta 5/4/2021 सहायक कलेक्टर (SDO) कापूर</p>	
11/05/21	<p>पत्रावली काज पैरा डूई। डोकिड - 2019 डे चलते डोई उपलब्ध नही डूका। विप्रार्थी/वादी डे नोटिस तामिल कडय तामिल अपाल। नीमान पीठानि अडिडारे डिगड डार्थे में एकाथ डोई ले मिशाल इल्लवा डोडर काजगी डिसुड 14/09/2021 डो पैरा डो/१</p>	



14/09/2021

प्रार्थी वहील उपस्थित। विभागियों के नैतिक तमिल कुछ जाल जिसे शासन पत्रावली विभागात्। विभागियों वाक्युत्त तमिल अनुपस्थित। व्यापार्य लमस लीन वाद कावाज लगाई गई, संतिलय भावाज 5.45 pm पर लगाई गई, विभागियों स्वयं या उनकी ओर से कोई प्रतिवस्तु उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विभागियों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्तु वहाय पत्रावली दिनांक 22¹⁰/2021 को पेश है।

ख. हुस्म
24/12/2021

22/10/2021

सहायक कलक्टर
(SDO) वाक्यु

प्रार्थी वहील उपस्थित। विभागियों अनुपस्थित। सीमान पीढामान अधिकारी प्रामान जॉवो के संग अभिमान-2021 कुम्बो के व्याप्य होने से मिमाल इल्लवा डोडर आगागी दिनांक 07/12/2021 को पेश है।

07/12/2021

प्रार्थी वहील उपस्थित। विभागियों अनुपस्थित। सीमान पीढामान अधिकारी प्रामान जॉवो के संग अभिमान-2021 कुम्बो के व्याप्य होने से मिमाल इल्लवा डोडर आगागी दिनांक-24/12/2021 को पेश है।

24/12/2021

रीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

24/12/2021

जार्जी वहील उपस्थित। विजयीगोवा
बावकुंड तामिल अनुपस्थित। जार्जी के अधि-
पक्ष की एडवोकेट बटम सुनी गई। जार्जी के
अधिपक्ष द्वारा बतमा की जार्जी व विजयीगोवा
की ग्यालेडी वूमि सेठ सेठ मारु डई टी। ज्योती
के मध्य जो पुरानी मारु व डो मारु डई
थे जो पतमान के अधिपक्ष की पक्ष के विषय
गये है। जिससे जार्जी को अपने खेत के सेठो को
सही ज्ञान नहीं है या रघु टी खेत के सेठो को
लेकर जार्जी व विजयीगोवा के मध्य हमेशा तनाव
बना रहता है। जार्जी को अपने खेत के सेठो
को सही ज्ञान करने हेतु नेचमबन्दी पुरानी
आवश्यक है। इसलिए जार्जी को नेचमबन्दी आवे-
दन स्वीकार किया जाकर नेचमबन्दी मोडे
दिया जावे।

अतः जार्जी अधिपक्ष के निवेदन
पर जार्जी को नेचमबन्दी आवेदन स्वीकार
किया जाकर तटमीलदार बायतु को डमिबानर
नियुक्त किया जाकर मोडे दिया जाता है
कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी
भू मालिक मिस्ट्रिड से जार्जी के ग्यालेडी
खेतो की पक्की नेचमबन्दी मोडे पर डमिशन
बुलड जमाडार करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त
होने पर शामिल पत्रावली टी, पत्रावली फिमल
शुमार टीडर डर नम्बर नि डम टी दाबिल
दमलर टी।


सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2021 / 1526

दिनांक:- 24/12/21

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

- | | |
|---|---|
| 1. काछुराम पुत्र वगताराम
जाति जाट निवासी नवलदेव
छतरी, चौखला तहसील बायतु (बाड़मेर) | 1. ताजाराम पुत्र धीराराम वगैरा 27
जाति जाट निवासी नवलदेव छतरी
चौखला तहसील बायतु (बाड़मेर) |
|---|---|

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन सं 126/2021 आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा-नवलदेव छतरी पटवार हल्का-चौखला तहसील बायतु जिला-बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 696/28 रकबा 7.3781 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर व सम्बन्धित भू.अ.नि. को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ. निरिक्षक से दोनों पक्षों की उपस्थिति में प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क 500/- जमा करवाकर करें। एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक / वाद / 2021 / 1527 - 31

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का चौखला को भेजकर लेख हैं कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी काछुराम पुत्र वगताराम
4. ताजाराम पुत्र धीराराम वगैरा 27
5. पुलिस थानाधिकारी नागाणा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(S.D.O.) बायतु

दिनांक:- 24/12/21

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बायतु